कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

भिलाई, दिनांक 23/09/2025

क्र./......../परि.शा./2025/ 3114

//निविदा आंमत्रण सूचना//

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत यूनीपोल स्थापना एवं विज्ञापन हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है :–

नियम एवं शर्तें :–

1. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन हेतु स्वयं के व्यय से यूनीपोल स्थापना एवं विज्ञापन के माध्यम से व्यय की वसूली की अवधि 05 वर्ष की होगी।

2. निविदा द्वि लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा ''अ'' (1) अमानत राशि का एफ.डी.आर. जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी हुआ हो। (2) निविदा प्रपत्र मूल्य रु. 2000/– का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति (4) निविदा दाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छाया प्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति (6) किसी भी प्रकार का बकाया नही होने संबंधी स्वप्रमाणित पत्र रखना होगा। (7) निविदा दाता किसी भी शासकीय अथवा अर्ध शासकीय संस्था में ब्लैक लिस्टेट नहीं है संबंधी शपथपत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा ''ब'' में निविदा दर डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिख कर रखना होगा। निविदा दर में कॉट छाँट नहीं होना चाहिए, दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सील बंदकर जमा करना होगा। लिफाफा ''अ'' में समस्त आवश्यक/वैध दस्तावेज पाये जाने पर ही लिफाफा ''ब'' (निविदा दर का लिफाफा) खोला जायेगा। सभी दस्तावेज नोटरी द्वारा सत्यापित होना चाहिए। निविदा के बड़े लिफाफे में प्रेषक की सम्पूर्ण विवरण संपर्क नम्बर स्पष्ट होना चाहिए एवं **सीलबंद लिफाफे स्पीट पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 14.10.2025 को सायं 5:30 बजे तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रस्तुत लिफाफा दिनांक 15.10.2025 को प्रातः 11:00 बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी।**

3. चयनित एजेंसी द्वारा यूनीपोल का डिजाईन, ड्राईंग एवं स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कर प्रस्तुत किया जावेगा। जिसे विज्ञापन हेतु गठित समिति से स्वीकृत कराना होगा।

4 निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें समुह अनुसार अलग अलग ग्रुप के युनीपोल हेतु अलग अलग निविदा दर भरना होगा। प्रत्येक ग्रुप में जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जावेगा। अर्थात अलग–अलग समूह संलग्न पत्रक में अंकित समूह अनुसार अलग–अलग सफल निविदाकार हो सकते है।

5. निविदा हेतु नामांकित समुह अनुसार पृथक–पृथक निविदा प्रपत्र हेतु 2000/– रू. का डिमांड ड्राफ्ट एवं अमानत राशि का एफडीआर जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया हो, आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम से जमा करना होगा।

क्रमशः–

समूह का विवरण निम्नानुसार है :–

समूह	स्थल का नाम	अमानत राशि (लाख में)	निर्धारित दर प्रति व.फु.
O	ए.सी.सी. चौक से जामुल बोगदा	1.00	231
P	ए.सी.सी. चौक से खुर्सीपार फ्लाई ओव्हर	1.00	231
Q	जामुल बोगदा से भगवा चौक (हनुमान मंदिर)	1.00	231
R	भगवा चौक से रूंगटा कालेज	1.00	216
S	अवंती बाई चौक से आई.आई.टी. भिलाई	1.00	216
T	पुलिस थाना स्मृति नगर से. झरोखा पैलेस/वासील स्ट्रील रेस्टोरेंट	1.00	231
U	नेहरू नगर गुरूद्वारा से के.पी.एस. नेहरू नगर	1.50	461
V	सुपेला घड़ी चौक से गदा चौक	1.50	461

6. अनुबंध 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पश्चात् स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 10 प्रतिशत की क्रमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायेगा।

7. दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुये प्रथम वर्ष के किराया राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। समयावधि में इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद भी कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। कार्यादेश जारी दिनांक से किराया लागू माना जावेगा।

8. निविदा 05 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में 01 वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर स्वीकृति की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत एवं प्रथम वर्ष की किराया राशि का 20 प्रतिशत जमा करते हुए इकरारनामा करना अनिवार्य होगा तथा शेष 80 प्रतिशत राशि कार्यादेश दिनांक से 4.5 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 01 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा। भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर पालिक निगम, भिलाई को होगा।

9. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई के पास सुरक्षित है।

10 सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

11 यूनीपोल आंधी तुफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संबंध में निविदाकार को विज्ञापन (पंजीयन एवं विनिमय) उपविधि 2012 के प्रारूप में वचनबद्ध 50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः–

12. यूनीपोल में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार/एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।

13. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा यूनीपोल पर प्रचार–प्रसार करने के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।

14. अन्य दुसरे विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेंसी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।

15. निविदाकार एजेंसी स्थापित यूनीपोल में शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा। ऐसा पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

16. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में काली सूची में दर्ज न हो।

17. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

18 अमानत राशि का एफ.डी.आर. निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेंसी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. को नियमानुसार सफल निविदाकार को होने के पश्चात मुक्त किया जा सकेगा एवं सफल निविदाकार द्वारा अन्तर की अमानत राशि का एफ.डी.आर जमा करना होगा। निविदाकार के सफल संचालन एवं संधारण के साथ निविदा अवधि समाप्त होने के उपरांत नियमानुसार वापस किया जा सकेगा।

19. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेंसी को देय नहीं होगा।

20 एजेंसी द्वारा स्थापित यूनीपोल का संधारण एवं अन्य व्यवस्थाएं एजेंसी स्वयं के व्यय से करेगी।

21. नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर अनुबंध तत्काल निरस्त कर यथास्थिति में अधिपत्य प्राप्त कर राजसात कर लिया जावेगा। जिसमें हर्जाना एवं दावा मान्य नहीं होगा।

22. एजेंसी को नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा विज्ञापन फलक लगाने की अनुमति अस्थायी रूप से 05 वर्ष के लिए होगी। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा अथवा जनहित में नगर पालिक निगम भिलाई को अधिकार होगा कि सात दिवस पूर्व सूचना देकर विज्ञापन हटा सकेगी। जिसका किसी भी प्रकार का हर्जाना या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार एजेंसी को नहीं होगा।

23. एजेंसी को उपविधि विज्ञापन उपविधि 2012 तथा समय–समय पर जारी नियमों का पालन करना होगा।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

—: निविदा प्रपत्र :—

//वित्तीय बीड//

विषय :— नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत यूनीपोल स्थापना, संधारण एवं विज्ञापन लगाने का कार्य।

समूह	स्थल का नाम	प्रस्तुत दर (प्रति वर्गफुट)	
		अंको में	शब्दों में

निविदाकार का सील/हस्ताक्षर